

(b) whether M/s M. S. Mondal & Co. had originally quoted Rs 30,000 less than the next lowest tenderer for the above works order;

(c) whether after opening of quotations for the above order, M/s M. S. Mondal & Co. were allowed to increase their price by Rs. 9,000.

(d) whether M/s M. S. Mondal completed the job under above works order on time or extension of time was given to them beyond the stipulated time; and

(e) if extension of time was given whether it was given with or without the permission of the Tender Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA):

(a) Yes, Sir, except that the work order was dated the 17th May, 1977.

(b) The quotation of M/s. Mondal and Co. was Rs. 32,750 less than that of the next lowest tenderer.

(c) An increase of Rs. 8,500 was allowed by IISCO after the opening of bids as the party had made a bona fide error in calculations.

(d) The work was not completed in time. IISCO had to grant an extension of time as they could not supply bitumen and other materials to the contractor, in terms of the contract.

(e) Extension was given by the competent authority as per the delegation of powers.

दिल्ली के अस्पताल में ठीक व्यवहार न किया जाना

5141. श्री हरी शंकर महाने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती भाकरी देवी को 15 जुलाई, 1978 को रात

9 बजे त्रिनिगडन अस्पताल (डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल) के प्राधान कक्ष में इलाज के लिए लाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त का कुछ माह का गर्भ था और वह पेट के दर्द में चिल्ला रही थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो घंटे के बाद उस औरत का कोई इलाज किए बिना उसे सुचेता कुचलानी अस्पताल (कलावती) जाने को कहा गया जहां उक्त अस्पताल वालों ने उसे भरती करने में इन्कार कर दिया तथा उसे इविन अस्पताल जाने के निवेदन मजबूर किया; और

(घ) यदि भाग (क) में (ग) का उत्तर 'हां' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) से (घ) यह सही नहीं है कि श्रीमती भाकरी देवी को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमर्जेंसी विभाग में इलाज के लिए लाया गया था और न ही उसने 15 अथवा 16 जुलाई, 1978 को मुंबई कुचलानी अस्पताल में रिफॉर्म की थी। ऐसा कोई रोगी 15-7-78 का इविन अस्पताल (नोक नाथक जयप्रकाश नारायण अस्पताल) में भर्ती नहीं किया गया था।

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

5142. श्री फावर एचपी मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के बारे में 16 मार्च, 1978 के प्रतारहित प्रश्न संख्या 3122 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला-वार वे किन किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ग) बिहार में किन किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण किया गया है, किन किन स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरा है, किन किन स्थानों पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया जा चुका है, किन किन स्थानों पर उनका निर्माण-कार्य अधूरा है और किन-किन स्थानों पर उनकी व्यवस्था नहीं की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जिला-वार सूची अनुबन्ध-I में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गई। देखिए संख्या, एन टी 2694/78)

(ख) और (ग) शोधित सूचना राज्य सरकार में मुद्रित की जा रही है और यथा समय समा पत्र पर रख दी जायेगी ?

Increasing Powers of Telephone Advisory Committee

5143. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to increase the powers of the Telephone Advisory Committee; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD

SUKHDEO SAI): (a) and (b). The restoration of the function of TAC for assisting the department in deciding the allotment out of turn connections to certain categories of applicants, which was withdrawn during October, 77 is now under review.

Definition of "Cola"

5144. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the definition of "Cola" under Prevention of Food Adulteration Act;

(b) whether cola nut extract must be present in an aerated water to call it a 'Cola';

(c) if so, what is the minimum per cent of cola nut extract necessary to call it a 'Cola'; and

(d) what per cent of ice cream is mandatory to call a drink "Ice Cream Soda"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Cola drinks have not been defined in the Prevention of Food Adulteration Act/Rules. These are covered under the broad category of sweetened aerated water containing no fruit juice/pulp.

(b) and (c). This is receiving attention.

(d) Ice cream is not added to the bottled beverage 'ice cream soda'. It contains ice cream soda flavour only.

Regional Passport Office in Himachal Pradesh

5145. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have considered the demand for getting up a regional or sub-regional passport office in Himachal Pradesh;